

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अ0सं0:- 428087 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 11/06/2019
ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

श्रीमती आरूप (अनुक्रमांक-222811) का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर चयन होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-167414 दिनांक-25.10.2013 द्वारा वेतनमान रू. 9300-34800(पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू0 4200/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में नियुक्त करते हुए मुंगेर जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया था ।

वर्तमान में श्रीमती आरूप प्रखंड गया में ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है ।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रीमती आरूप का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में हुआ है और इनके द्वारा निजी कारणों से दिनांक 28.03.2019 के प्रभाव से ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से त्याग पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

अतः श्रीमती आरूप, (अनुक्रमांक-222811) ग्रामीण विकास पदाधिकारी -सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गया सदर (गया) से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित शर्तों के साथ अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से इनका ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) श्रीमती आरूप का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार नहीं होगा ।
- (ii) अनधिकृत अनुपस्थित अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।
- (iii) बिहार सेवा संहिता के नियम 157 के तहत श्रीमती आरूप घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है । यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया राशि होगा तो वह वसूलनीय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 428087

दिनांक:- 11/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 428087

दिनांक:- 11/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 428087

दिनांक:- 11/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / जिला पदाधिकारी, गया / उप विकास आयुक्त, गया / कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 428087

दिनांक:- 11/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

प्रतिलिपि:- श्रीमती आरूप, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गया सदर (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, गया को घोषणा पत्र समर्पित करेंगी कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 428087

दिनांक:- 11/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-02-14/19

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव